उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–3

संख्या–6316/9–आ–3–99–100 वि0/97

लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 1999

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम संख्या–1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन पूर्व अधिनियम संख्या–3369/9–आ–3–97–100 वि0/97, दिनांक 24–1–98 के क्रम में श्री राज्यपाल सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवनों के वर्ग विनियमों या उपविधियों अथवा निर्देशों से निम्नलिखित शर्तों पर छूट प्रदान करते हैं :–

(1) ऐसे मामले जिनमें इस अधिसूचना से पूर्व में निर्माण किये जा चुके हैं और वे इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 24.1.98 में वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित निर्मित टावर/भवन का मानचित्र मय रू0–15000/–(पन्द्रह हजार) शुल्क के प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा। यदि इस अधिसूचना के 21 (इक्कीस) दिन के बाद प्रस्तुत करते हैं तो 25,000 (पच्चीस हजार) शुल्क के साथ जमा करना होगा।

(2). टावर के साथ निर्मित इक्यूमेंट तथा जेनरेटर कक्ष का कुल क्षेत्रफल 60 (साठ) वर्ग मीटर से अनधिक तथा भवन उपविधियों के अन्तर्गत हो।

(3) यह छूट सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर निर्माण के सम्बन्ध में ही उपलब्ध होगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

<u>**संख्या–6316(1)/9–आ–3–99–109 वि0/97 तद्दिनांक**</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में (केवल हिन्दी पाठ) में दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 को विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

<u>**संख्या–6316(2)/9–आ–3–99 तद्दिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. एक्सक्यूटिव डायरेक्टर, एस्कोटेल, मोबाइल, ए–36, मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

3. डायरेक्टर जनरल टेलीफोन्स, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4. मैनेजर एस्सार टेलीफोन, सी–48 ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट फेज–2 नई दिल्ली।

5. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।